प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 07.06.2024 को जनपद में अपराधियों के विरूद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 131/24 धारा 147/323/504/506/452/427 भादिव0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.अन्शू पुत्र खरगेश्वर 2.िशवदेवी पत्नी खरगेश्वर 3.अमन पुत्र लालजी उर्फ कल्लू 4.अरूण पुत्र प्रमोद समस्त नि0गण रतापुर थाना सिकन्दरा का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 187/24 धारा 376(3)/342/504/506 भादिव0 व ¾(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुमित कश्यप उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्र राजेश नि0 सरगांव बुजुर्ग थाना रूरा का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 198/24 धारा 457/380/411 भादिव0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.प्रदीप कुमार पुत्र रामऔतार पाल 2. संजू पुत्र रामऔतार पाल 3.प्रमोद उर्फ अल्टर पुत्र रामऔतार पाल निवासीगण धनीरामपुर थाना रूरा कानपुर देहात 4. ड्राइवर नसीम पुत्र इलियास मंसूरी निवासी सरीफापुर पुलिस चौकी पाल चौराहा थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 705/23 धारा 125(3) द0प्र0सं0 से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त विकास पुत्र जगमोहन सिंह नि0 सहाबापुर थाना भोगनीपुर का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- > थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1531/17 धारा 138 विधुत अधि0 से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त सन्नो पत्नी युनुस नि0 छतैनी थाना भोगनीपुर का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ▶ थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. आशीष 2. अंशू पुत्रगण खरगेश्वर 3.िशव देवी पत्नी खरगेश्वर 4.संध्या पुत्री खरगेश्वर 5. मीरा पत्नी िरंकू 6. कीर्ति पुत्री स्व0 पहलाद उर्फ टेनी 7.गब्बर 8. चन्टू उर्फ रिवशंकर पुत्रगण स्व0 पहलाद उर्फ टेनी 9. अरून पुत्र प्रमोद कुमार 10. अमन पुत्र लालजी उर्फ कल्लू 11.लालजी उर्फ कल्लू पुत्र रामाधीन 12. सुधा पुत्री रामिसंह 13. माधुरी पुत्री रामिसंह निवासीगण ग्राम रतापुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात 14. 4-5 व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादिनी व उसके परिजनों के साथ घर में घुसकर तोडफोड कर गाली गलौज व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 147/323/504/506/452/427 भादिव0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 19 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रिनयां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति तथा थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।